



न्यायालय श्रीमान् समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग ग्वालियर(म.प्र.)

निग0प्र0क्र. 1/निगरानी/छतरपुर/भूरा/2018/0868

सन्

1. बुन्देली विकास संस्थान बसारी, द्वारा सचिव पर्वत सिंह तनय रघुनाथ सिंह निवासी बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.
2. महाराज चम्पतराम शिक्षा एवं उत्थान परिषद खजुराहों सचिव द्वारा लखन लाल दुबे निवासी राजमहल परिसर छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.).....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- कल्लू पिता सरजू कोरी वगैरह निवासी बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूरा.संहिता निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर जिला छतरपुर के अपील प्र.क्रं. 47/अपील/ 2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2004 से दुखी होकर

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता/आवेदक सादर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है -

1. निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - भूमि खसरा नं. 199/2, 199/1,140, 142, 143, 145/4, 210/3, 157/2, 158/2, 160 कुल कित्ता 12 ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) की भूमि है। उक्त विवादित भूमि बुन्देली विकास संस्थान बसारी के अधिपत्य एवं कब्जे की भूमि है, वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर निगरानीकर्ता संस्था का ही कब्जा है। अन्य किसी का नहीं है। वर्षों से संस्थान के अधिपत्य एवं कब्जे में है। अधीनस्थ न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि खसरा नं. की अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के यहाँ सरपंच ग्राम पंचायत बसारी क प्रस्ताव क्र. 07 दिनांक 16.05.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी। उक्त अपील अपीलार्थी/गैरनिगरानीकर्ता ने दिनांक 03.02.04 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के यहाँ प्रस्तुत की थी तथा आदेश 17.02.2004 को

सुनीलारिष म.प्र.
21/2/18
प्रस्तुत/ सरपंच ग्राम पंचायत
दिनांक 22-2-18

2-2-18

21/2/18

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/868

बुन्देली विरूद्ध कल्लू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 47/अपील/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 17-02-2004 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका</p>	


18.1.19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

3
hjein
(आर.के. जैन) 18/11/19
सदस्य